प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 00313/2022-2023 दिनांक 12/05/2022

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण
संख्या:R/GOR/01941/2022-2023 पत्रावली संख्या:G-40149 दिनांक:2006-2007

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **बाबू लाल जी सिंह एजूकेशनल समिति, श्री लालजी सिंह भवन भगौरा ग्राम-भगौरा पो0-सहजनवा तहसील-सहजनवा जनपद-गोरखपुर, गोरखपुर , 272309** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 1104/2006-2007 दिनांक-27/01/2007 को दिनांक-27/01/2022 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1250 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

Digitally Signed By
(Ajay Kumar Shahi)
0097FB1C47DF3F7B5BB0589C12A76E5CD27FC364
Date: 12/05/2022 11:10:33 AM, Location: Gorakhpur.

ज़ारी करने का दिनांक-12/05/2022

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

Principal
Heritage World School
Bhagoura, Sahjanwa
Gorakhpur (U.P.)

Manager
Heritage World School
Bhagoura, Sahjanwa
Gorakhpur (U.P.)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु. 10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

36AE 402800

जनरल स्टाम्प पेपर [illegible] एजुकेशनल समिति

जिला गोरखपुर .... नं० जी-54949

शपथपत्र के साथ संलग्न है।

कृते सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
म० प्र० गोरखपुर
22.04.24

Principal
Heritage World School
Bhagoura, Sahjanwa
Gorakhpur (U.P.)

Manager
Heritage World School
Bhagoura, Sahjanwa
Gorakhpur (U.P.)

स्मृति पत्र

1. नाम तथा पता

इस समिति का नाम बाबू लाल जी सिंह एजुकेशनल समिति होगा।

समिति का मुख्यालय - पूरा पता

श्री लालजी सिंह भवन - भगौरा

ग्राम - भगौरा

पोस्ट - सहजनवां, तहसील - सहजनवां

जनपद - गोरखपुर (उ0प्र0)

2. कार्य क्षेत्र

सम्पूर्ण उ0 प्र0 समिति का कार्य क्षेत्र होगा।

3. समिति के उद्धेश्य

समिति के उद्धेश्य निम्नलिखित होंगे :-

1. बालक एवं बालिकाओं के बहुमुखी विकास हेतु प्राथमिक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षण परीक्षण और रोजगारपरक उपयोगी संस्थाओं की स्थापना, संचालन और नियन्त्रण करना।
2. बालक और बालिकाओं को शिक्षा के माध्यम स्वस्थ नागरिक तथा देश और समाज के प्रति धर्मनिरपेक्ष और निष्ठावान नागरिक बनाना।
3. आधुनिक एवं तकनीकी और उपयोगी शिक्षा की व्यवस्था कराना।
4. पत्र-पत्रिकाओं और गोष्ठीयों का आयोजन कराना।
5. उत्तम पुस्तकालय और मनोरंजन हेतु संतोषप्रद व्यवस्था कराना।
6. गुणवत्तापरक शिक्षा की व्यवस्था कराना।
7. विकलांगो, असहायों एवं निर्धनों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना।

ह0 रामप्रकाश सिंह रामप्रकाश सिंह

ह0 मानस सिंह Manas Singh

ह0 प्रशान्त सिंह राठौर प्रशान्त कुमार राठौर

ह0 विजय कुमार गुप्ता विजय कुमार गुप्ता

ह0 कृष्णा सिंह Krishna Singh

ह0 पूजा राठौर Pooja Singh Rathaur

ह0 शैलेन्द्र पाण्डेय - Shailendra Kr. Pandey

Principal
Heritage World School
Bhagoura, Sahjanwa
Gorakhpur (U.P.)

कृते सहायक रजिस्ट्रार
फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स
उ0 प्र0 गोरखपुर

Manager
Heritage World School
Bhagoura, Sahjanwa
Gorakhpur (U.P.)

4. समिति के प्रवन्ध, समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यो के नाम, पते, पद तथा व्यवसाय जिनकी इस समितिके स्मृति पत्र पथा नियमों के अनुसार कार्य सौपा गया है। वह निम्न प्रकार है:-

क्र0सं0	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्री प्रकाश सिंह	श्री कृष्ण प्रताप सिंह	ग्राम- भगौरा पो0- सहजनवां जिला- गोरखपुर	संरक्षक	कृषि
2	श्री मानस सिंह	श्री रामप्रकाश सिंह	ग्राम- भगौरा पो0- सहजनवां जिला- गोरखपुर	प्रवन्धक	कृषि
3	श्रीमती कृष्णा सिंह	श्री राम प्रकाश सिंह	ग्राम- भगौरा पो0- सहजनवां जिला- गोरखपुर	सदस्य	कृषि
4	श्रीमती पूजा राठौर	श्री प्रशान्त सिंह	द्विग्विजय नगर गोरखनाथ, गोरखपुर	सदस्य	कृषि
5	श्री प्रशान्त सिंह राठौर	श्री प्रेम सिंह राठौर	द्विग्विजय नगर गोरखनाथ, गोरखपुर	सदस्य	कृषि
6	श्री शैलेन्द्र पाण्डेय	श्री रामनरायन पाण्डेय	ग्राम-डोहरियां पोस्ट- मिनवां जिला- गोरखपुर	सदस्य	कृषि
7	श्री विजय कुमार गुप्ता	श्री रघुनाथ गुप्ता	वक्शीपुर, गोरखपुर	सदस्य	एडवोकेट

ह0 रामप्रकाश सिंह राम प्रकाश सिंह
ह0 मानस सिंह Manas Singh
ह0 प्रशान्त सिंह राठौर प्रशान्त कुमार राठौर
ह0 विजय कुमार गुप्ता विजय कुमार गुप्ता

ह0 कृष्णा सिंह Krishna Singh
ह0 पूजा राठौर Pooja Singh Rathaur
ह0 शैलेन्द्र पाण्डेय- Shailendra Kr. Pandey

Principal
Heritage World School
Bhagoura, Sahjanwa
Gorakhpur (U.P.)

कृते सहायक रजिस्ट्रार
फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स
उ0/प्र0 गोरखपुर

Manager
Heritage World School
Bhagoura, Sahjanwa
Gorakhpur (U.P.)

हम आगे हस्ताक्षरी गण घोषित करतें हैं कि हमनें इस स्मृति तथा संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत समिति का गठन किया है जिसके पंजीकरण की इच्छा व्यक्त करते हैं।

सदस्य का नाम	*हस्ताक्षर*
1. श्री रामप्रकाश सिंह	राम प्रकाश सिंह
2. श्री मानस सिंह	Manas Singh
3. श्रीमती कृष्णा सिंह	Krishna Singh
4. श्रीमती पूजा राठौर	Tejsingh Rathor
5. श्री प्रशान्त सिंह राठौर	प्रशान्त कुमार राठौर
6. श्री शैलेन्द्र पाण्डेय	Shailendra Kr. Pandey
7. श्री विजय कुमार गुप्ता	विजय कुमार गुप्ता

दिनांक : 3/01/07

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित

कृते सहायक रजिस्ट्रार
फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर

Principal
Heritage World School
Bhagoura, Sahjanwa
Gorakhpur (U.P.)

प्रतिलिपि कर्ता ...
मिलान कर्ता ...

Manager
Heritage World School
Bhagoura, Sahjanwa
Gorakhpur (U.P.)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

36AE 402801

जनरल स्टाम्प पेपर बाबू लाल जी सिंह एजूकेशनल समिति

जिला गोरखपुर फाइल नं० जी-40149

संख्या व प्रपत्रावली के साथ संलग्न है।

सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश गोरखपुर

कृते सहायक रजिस्ट्रार
फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर
22.04.24

Principal
Heritage World School
Bhagoura, [illegible]
Gorakhpur (U.P.)

Manager
Heritage World School
Bhagoura, Sahjanwa
Gorakhpur (U.P.)

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम – बाबू लालजी सिंह एजूकेशनल समिति
2. संस्था का पता श्री लालजी भवन ग्राम–भगौरा, पोस्ट–सहजनवां जनपद–गोरखपुर उ0प्र0
3. संस्था का कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

4– संस्था की सदस्यता तथा सदस्यता के वर्ग –

समिति का सदस्यता :–

समिति का सदस्यता निम्न प्रकार की होगीं

संरक्षक सदस्य

1. समिति स्थापना में सर्वप्रथम योगदान करने वाले व्यक्ति श्री राम प्रकाश सिंह संस्थापक सदस्य होंगे जिन्होंने अपने पितामह श्री बाबू लाल जी सिंह की स्मृति में समिति का गठन किया है। प्रतिबन्ध होगा कि प्रथम संरक्षक सदस्य या इनके उत्तराधिकारी के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति संरक्षक सदस्य का स्थान ग्रहण नहीं करेगा।

आजीवन सदस्य

जो व्यक्ति समिति को 50 हजार रु0 नगद या इतने ही मूल्य की वस्तु स्वेच्छा से समिति को दान स्वरुप प्रदान करेगा वह आजीवन सदस्य होगा जिसे प्रबन्धसमिति की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

विशिष्ट सदस्य

साहित्यिक , कानूनविद् तथा समाजसेवी व्यक्ति प्रबन्धसमिति की स्वीकृति से सदस्य बनाये जायेंगे।

4 सदस्यता की समाप्ति

निम्न दशाओं में किसी भी सदस्य का स्थान रिक्त समझा जायेगा।

1 किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर या इस्तीफा देने पर ।

2 शारीरिक असमर्थता या पागल हो जाने पर ।

3 किसी सदस्य के नैतिक पतन का दोष सिद्ध होने की दशा में न्यायालय द्वारा सजा होने पर सदस्यता समाप्त समझी जायेगी।

4 समिति के उद्देश्यों या समिति नियमावली के विरुद्ध कार्य करने पर ।

5 सदस्यता सम्बन्धी कोई भी निर्णय प्रबन्धसमिति द्वारा पूरी समीक्षा करने पर किया जायेगा जो अन्तिम होगा।

5 संस्था के अंग –

संस्था के प्रबन्ध हेतु 2 अंग होंगे।

1 साधारण सभा 2 प्रबन्धकारिणी समिति

अ साधारण सभा –

इस सभा का गठन नियम संख्या 4 व श्रेणी के सभी सदस्यों को सम्मिलित करके किया जायेगा। जो बैठक के माध्यम से निहित होगा।

साधारण सभा में समिति के अन्तिम अधिकार इसकी बैठक के सदस्यों द्वारा तय होगी प्रत्येक दशा में साधारण सभा की बैठक में संकल्पित और निर्णित विषय समिति के प्रति निर्देश समझे जाये।

साधारण सभा समिति की सर्वोच्च सत्ता सम्पन्न समझी जायेगी।

बैठक –

1. प्रत्येक वर्ष विद्यालय सत्र के अन्तिम तथा आगामी सत्र प्रारम्भ होने के बीच साधारण सभा की बैठक यथासम्भव 30 जून तक या विशेष परिस्थितियों में संरक्षक द्वारा बतायी गयी अवधि जो एक माह से अधिक नहीं होगी , अनिवार्य रुप से होगी।

सूचना अवधि –

2. साधारण सभा की बैठक 3 दिनों के पूर्व सूचना पर आहुत की जायेगी किन्तु विशेष बैठक की दशा में 15 दिनों की सूचना अवधि अनिवार्यता होगी।

राम प्रकाश सिंह
Manas Singh
Krishna Singh
Pooja Singh

Principal
Heritage World School
Bhagoura, Sahjanwa
Gorakhpur (U.P.)

कृते सहायक रजिस्ट्रार
फर्म सोसाईटीज तथा चिट्स
उ0 प्र0 गोरखपुर

Manager
Heritage World School
Bhagoura, Sahjanwa
Gorakhpur (U.P.)

गणपूर्ति –

3, साधारण सभा की बैठक की गणपूर्ति सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति समझी जायेगी किन्तु गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक के पश्चात की बैठक में उपस्थित बैठक की संख्या गणपूर्ति समझी जायेगी।

वार्षिक अधिवेशन की तिथि–

माह जून में होगा।

साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य –

4 समिति के लिये करने वाले प्रत्येक कार्य योजना का सृजन, संचालन, व्यवस्था, प्रबन्ध कमेटी का गठन पदाधिकारियों में निहित की जाने वाली सभी प्रकार के अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के निर्धारण का अन्तिम अधिकार साधारण सभा में निहित होगा।

साधारण सभा की प्रबन्ध कमेटी के प्रस्तावों तथा आदेशों को यदि उसे यह समाधान हो जाये कि उक्त प्रस्तावों आदेशों से समिति के नियम तथा उद्देश्यों का हित सुरक्षित नहीं होगा, निरस्त करने का अधिकार होगा। समिति के प्रशासनिक कार्य में साधारण सभा का निर्णय अन्तिम प्राधिकार कहा जायेगा।

ब, प्रबन्ध कमेटी –

1, इस समिति का प्रबन्ध इस नियमावली के नियमों, संकल्पों के अनुसार संगठित प्रबन्ध कमेटी में निहित होगा, जो ऐसे अधिकारों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन करेगी जो नियमों या विधियों द्वारा प्रदत्त या आरोपित किये जायेगे। जिसमें दो पदाधिकारी एवं 5 सदस्य होंगे।

2, प्रबन्ध कमेटी का गठन संरक्षक सहित 5 सदस्यों की होगी जिसमें 3 सदस्य नियम संख्या 4, 2,, श्रेणी से होंगे तथा 1 सदस्य नियम संचया 4,3,श्रेणी के सदस्य को सम्मिलित करके किया जायेगा।

3, प्रबेन्ध कमेटी के चाहे नियुक्त किये अथवा नामित अथवा निर्वाचित चाहे जो भी दशा हो कार्यकाल 5 वर्ष होगा।

4, प्रबन्ध कमेटी को यह कर्त्तव्य होगा कि अपने कार्यकाल की समाप्ति के 1 माह पूर्व संरक्षक की सहमति से साधारण सभा की बैठक में प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन करने के लिये कार्यवचाही करे और इस प्रकार निर्वाचित होकर प्रबन्ध कमेटी उन सदस्यों या पदाधिकारियो का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल इस समाप्ति के नियम के अनुसार समाप्त होगा।

5, जहाँ, वहिर्गामी कमेटी के सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् यथा शीघ्र प्रबन्ध कमेटी का पुर्नगठन होने तक समिति के कार्यकलापों का इस नियमावली के अनुसारप्रबन्ध करने के लिये संरक्षक सदस्य स्वयं व्यवस्था का कार्य संचालन करेंगे।

7, प्रबन्ध कमेटी के किसी सदस्य का स्थान इस नियमावली के नियम स0 5 के अन्तर्गत रिक्त पाया जायेगा उस दशा में प्रबन्ध कमेटी को अधिकार होगा कि उस श्रेणी के किसी भी सदस्य को अमोलित कर ले जिस श्रेणी के सदस्य का स्थान रिक्त हुआ हो।

8, प्रबन्ध कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति संरक्षक द्वारा नियमावली के नियम स04,2, श्रेणी के सदस्य में ही की जायेगी।

प्रबन्ध समिति के अधिकार –

1, प्रबन्ध समिति को वे सभी अधिकार होंगे जो साधारण सभा का उसकी बैठक में पारित संकल्पों से सौंपे जायेगे।

2, प्रबन्ध कमटी द्वारा संचालित संस्था के कर्मचारियों के लिये कर्मचारी सेवा नियमावली सृजन करना।

3, संचालित संस्थाओं को ठीक प्रकार से चलाने हेतु उचित व्यवस्था करना।

4, हर प्रकार के नियमों के सुनने और उसका समाधान करने का अधिकार प्रबन्ध कमेटी को प्राप्त होगा।

5 संस्था के द्वारा संचालित सभी प्रतिष्ठानों के अधिकार व कर्तव्य तथा प्रशासन व्यवस्था संस्था के प्रबन्धसमिति के द्वारा गठित न्यास में निहित होगी तथा न्यास के द्वारा नामित प्रबन्धसमिति ही प्रतिष्ठानों में ग्राहय की जायेगी।

सी0बी0यस0ई0 बोर्ड के प्रतिबन्ध

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जाए।
2. विद्यालय की प्रबन्धसमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रों के लिए

Principal
Heritage World School
Bhagoura, Sahjanwa
Gorakhpur (U.P.)

कृते सहायक रजिस्ट्रार
फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर

Manager
Heritage World School
Bhagoura, Sahjanwa
Gorakhpur (U.P.)

सुरक्षित रहेगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नही लिया जायेगा।

4 संस्था के द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन,नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता/राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

5 संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारीयों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेगे।

6 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।

7 राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे संस्था उनका पालन करेगी।

8 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा, यदि हॉ तो कृपया प्रबन्धधिकरण का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें कि विद्यालय को विभाग/शासन के सभी प्रतिबन्ध क्रम क से झ तक स्वीकार है।

9 उक्त शर्तो में बिना शासन के पूर्वानुमति के कोई परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन नही किया जायेगा।

प्रबन्ध कमेटी की बैठक –सूचना अवधि ,गणपूर्ति –

1, प्रबन्ध समिति की विशेष बैठक हर तीसरे माह आहूत की जायेगी। किन्तु विशेष परिस्थितियों में कभी भी अल्प सूचना पर बुलायी जा सकेगी।

2, कोई भी बैठक 24 धण्टे की पूर्व सूचना पर बुलायी जायेगी। किन्तु अति अनिवार्य दशा में सूचना अवधि उतनी पर्याप्त मानी जायेगी जितने वे कमेटी के प्रत्येक सदस्य सूचित हो सकेंगे।

3, प्रबन्ध कमेटी की बैठक हेतु सम्पूर्ण संख्या 1/2 से अधिक संख्या गणपूर्ति समझी जायेगी किन्तु एक बार स्थगित बैठक के पश्चात की बैठक के लिये उपस्थित सदस्यों की संख्या गणपूर्ति होगी।

प्रबन्ध कमेटी के सदस्य की रिक्तता की पूर्ति –

जिसे किसी भी कारण किसी सदस्य के स्थान रिक्त होने की दशा में स्थान की पूर्ति प्रबन्ध कमेटी द्वारा की जायेगी।

संरक्षक के अधिकार एवं कर्त्तव्य –

1, प्रत्येक दशा में संरक्षक नियमों और उपबन्धों के अनुसार कार्य करेंगे । साधारण सभा तथा प्रबन्ध ा कमेटियों की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

2, संरक्षक समिति के मामले तथा कार्य के नियन्त्रण , पर्यवेक्षण तथा पथ प्रदर्शन के लिये उत्तरदायी होंगे। सभी अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेंगे जो इस नियमावली के नियमों और प्रबन्धों में सम्मिलित हों तथा साधारण सभा एवं प्रबन्ध कमेटी के संकल्पों के द्वारा प्रदत्त या आरोपित किये जायें । संरक्षक समिति के अन्तिम और उच्च पदस्थ व्यक्ति माने जायेंगे ।

प्रबन्धक के अधिकार एवं कर्त्तव्य –

1, प्रबन्धक नियमावली में की गयी व्यवस्था के अनुसार नियुक्त पदाधिकारी होंगे।

2, वह समिति के कार्यपालक अधिकारी होंगे और प्रबन्ध कमेटी के ऐसे नियन्त्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुये जिसकी व्यवस्था नियमों में की जाये वह –

क, समिति के कार्यो के सम्यक प्रबन्ध तथा उसके कुशल प्रशासन के लिये उत्तरदायी होंगे।

ख, समिति का प्राधिकृत और सामान्य कार्य करेंगे।

ग, समिति के नियमों के अधीन रहते हुये उसके लेखों का परिचालन करेंगे और उस व्यवस्था को छोडकर जब समिति का कोई कोषाधिकारी हो , उसके कोष का प्रबन्ध करेंगे तथा उसे अपनी अभिरक्षा में रखेंगे।

Manas Singh
Krishna Singh
Pooja Singh

Principal
Heritage World School
Bhagoura, Sahjanwa
Gorakhpur (U.P.)

कृते सहायक रजिस्ट्रार
फर्म सोसाईटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर

Manager
Heritage World School
Bhagoura, Sahjanwa
Gorakhpur (U.P.)

ध, समिति की ओर से उसके लिये सभी लेखों पर हस्ताक्षर और उन्हें प्रमाणित करेंगे।

ड0 समिति के विभिन्न बहियों और अभिलेखों को उचित रुप से रखने और इस नियमावली के नियमों तथा संरक्षक और साधारण सभा के अनुदेशों के अनुसार नियतकालिक विवरण पत्रों और विवरणियों के शुद्ध रुप से तैयार करने और ठीक समय पर उसे प्रस्तुत के लिये उत्तरदायी होंगे।

च, साधारण सभा तथा प्रबन्ध कमेटी और उप कमेटी जो साधारण सभा या प्रबन्ध कमेटी द्वारा संगठित होगी उनकी बैठकों को आहूत करने तथा बैठकों के अभिलेख के ठीक प्रकार से रखरखाव के लिये उत्तरदायी होंगे।

छ, ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन और अन्य अधिकारों का प्रयोग करेंगे जो समिति के नियमों के अध ीन उन पर आरोपित या उन्हें प्रदत्त किये जायेंगे।

ज, समिति के संरक्षक जो समिति के नियन्त्रण , पर्यवेक्षण और पथ प्रदर्शक होंगे , के अधीन रहकर कार्य संचालनके उत्तरदायी होंगे।

समिति के नियमावली में संशोधन –

समिति के नियमों में किसी प्रकार के संशोधन का अधिकार साधारण सभा को होगा जो उसकी विशेष बैठक में नियमावली में की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत होगी।

नोट–किसी भी प्रकार के संसोधन किये जाने पर एक माह के भीतर इसकी सूचना सोसाइटीज रजि0 विभाग को उचित कार्यवाही हेतु अनिवार्य रुप से प्रस्तुत किया जायेगा।

8, **समिति का कोष** – समिति के कोष की व्यवस्था प्रबन्ध कमेटी द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा विशेष रुप से निकटतम बैंक की शाखा या अन्य प्रकार से की जायेगी जिसकी सुरक्षा की पूरी गारन्टी हो तथा कोष का संचालन प्रबन्धक व संरक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा।

9, **अभिलेख** – सदस्यता रजिस्टर , कार्यवाही रजिस्टर , स्टॉक रजिस्टर , कैश बुक आदि होंगे।

10, **लेखा परीक्षण** – समिति या इसके अन्तर्गत संगठित और संचालित की जाने वाली संस्थाओं के आय व्यय के लेखा परीक्षण की व्यवस्था आन्तरिक या बाह्य जो भी अनिवार्य होगी की जायेगी विशेष रुप से सरकार द्वारा उपलब्ध व्यवस्था मान्य और प्रभावी होगा।

11, **विवाद** –

समिति द्वारा या उसके विरुद्ध या जो भी विवाद होगा उस सम्बन्ध में यथा उचित और मान्य विधिक कार्यवाही प्रबन्धक द्वारा की जायेगी।

12, **समिति के विधटन की स्थिति** –

समिति के विधटन सम्बन्धी कार्यवाही सोसाइटी रजि0एक्ट की धारा 13 व 14 के अधीन धारा 2 नियम 47 के अनुसार होगी।

13, **अन्य जो विशेष होंगे** –

समिति और इसके द्वारा संगठित तथा संचालित संस्थाओं के उद्देश्यों की पूर्ति विकास प्रबन्ध और सुव्यवस्था हेतु समयानुसार जो उचित तथा व्यवहारपरक होगा उसे पूर्ण करने के लिये आवश्यक उपाय अपनाये जायेंगे।

14, स्मृति पत्र एवं नियमावली के कट–पिट और और जोड आदि प्रबन्धक के हस्ताक्षर से सत्यापित किया जायेगा।

(ओम प्रकाश सिंह)
Manoj Singh
Krishna Singh
Pooja Singh

दिनांक

सत्यप्रतिलिपि

हस्ताक्षर

Principal
Heritage World School
Bhagoura, Sahjanwa
Gorakhpur (U.P.)

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित

कृते सहायक रजिस्ट्रार
फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स
उ0प्र0 गोरखपुर

प्रतिलिपि कर्ता ...
मिलान कर्ता 22/04/24

Manager
Heritage World School
Bhagoura, Sahjanwa
Gorakhpur (U.P.)

कार्यालय सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश : गोरखपुर

40145

पत्रावली संख्या ....
अभिलेख का नाम ....
स्मृति पत्र ....
नियमावली ....
आज दिनांक 18/5/12
सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 21, सन 1860
के अन्तर्गत निबन्धन की गयी।

18.5.12

सहायक निबन्धक
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
उत्तर प्रदेश, गोरखपुर

Principal
Heritage World School
Bhagoura, Sahjanwa
Gorakhpur (U.P.)

Manager
Heritage World School
Bhagoura, Sahjanwa
Gorakhpur (U.P.)